



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2016/माघ 28, 1937

No. 112]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2016/MAGHA 28, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

**सा.का.नि. 179(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 110 की उपधारा (2) और (6) के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) “अपील” से अधिनियम की धारा 110 के अधीन प्रस्तुत कोई अपील अभिप्रेत है;

(ग) “अपील अधिकरण” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ट के अधीन स्थापित अधिनियम की धारा 2 के खंड 16ग में यथा परिभाषित प्रतिभूति अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) “प्राधिकरण” से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित, अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) में यथापरिभाषित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (ड.) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (च) “सदस्य” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ख के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
- (छ) “पक्षकार” के अंतर्गत अपील अधिकरण के समक्ष अपील में दोनों अपीलार्थी और प्रत्यर्थी हैं;
- (ज) “पीठासीन अधिकारी” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;
- (झ) “रजिस्ट्रार” से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (ञ) “रजिस्ट्री” से अपील अधिकरण की रजिस्ट्री अभिप्रेत है;
- (ट) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और पद जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम या भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित किया गया है के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके हैं।

**(3) अपील का प्ररूप और प्रक्रिया—**(1) अपील का ज्ञापन प्ररूप 1 में होगा और अपील अधिकरण की रजिस्ट्री के समक्ष स्वयं फाइल किया जा सकेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार को संबोधित करते हुए भेजा जा सकेगा।

(2) डाक द्वारा भेजा गया अपील का ज्ञापन रजिस्ट्री में उस दिन प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा, जिस दिन रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त किया गया था।

**4. अपील का लिखित रूप में होना—**(1) अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई प्रत्येक अपील, आवेदन, अभ्यावेदन या कोई दस्तावेज अच्छी क्वालिटी के फुल स्कैप साइज पेपर पर पृथक कागजों पर और डबल स्पेस में एक ओर टंकित, साइक्लोस्टाइल या स्पष्टतः पढ़ने योग्य मुद्रित होगी और एक साथ टांकी जाएगी तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रमशः संख्यांकित होगा और उपनियम (2) में उपबंधित रीति में फाइल किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अपील खाली फाइल साइज लिफाफे सहित, जिस पर प्रत्यर्थी का पूर्ण पता हो पेपर बुक में पांच सैटों में प्रस्तुत की जाएगी और यदि प्रत्यर्थी एक से अधिक है तो अतिरिक्त पेपर बुक्स की पर्याप्त संख्या खाली फाइल साइज लिफाफे सहित, जिन पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूरा पता हो, अपीलार्थी द्वारा दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक अपील पक्षकार द्वारा प्ररूप-2 में यथाउपबंधित सत्यापित की जाएगी।

**5. अपील का ज्ञापन तैयार करना और उसकी संवीक्षा—**(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक अपील पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको यह नियम 3 के अधीन प्रस्तुत की जाती है या उस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई समझी जाती है और पृष्ठांकन हस्ताक्षरित करेगा।

(2) यदि संवीक्षा पर अपील नियम अनुसार पाई जाती है तो उसे सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और एक क्रम संख्या दी जाएगी।

(3) यदि कोई अपील संवीक्षा पर त्रुटि पूर्ण पाई जाती है और ध्यान में आई त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है तो रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति में अपीलार्थी को उसमें सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार अपीलार्थी को त्रुटि में सुधार करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर

सकेगा जो वह उचित समझे और जहां ऐसी अपील डाक द्वारा भेजी गई है और त्रुटिपूर्ण पाई गई है, वहां रजिस्ट्रार अपीलार्थी को त्रुटियां संसूचित कर सकेगा और अपीलार्थी को त्रुटियों का सुधार करने के लिए ऐसा समय दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(4) यदि अपीलार्थी उप नियम (3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि में सुधार करने में विफल रहता है तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील के ऐसे ज्ञापन को रजिस्टर करने से मना कर सकेगा और उससे सात दिन के भीतर अपीलार्थी को आदेश संसूचित करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके कक्ष में की जाएगी, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

**6. फीस—**(1) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ उपनियम (2) में यथाउपबंधित फीस संलग्न की जाएगी और ऐसी फीस “रजिस्ट्रार, प्रतिभूति अपील अधिकरण” के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम लिखे गए क्रास मांग देय ड्राफ्ट के रूप में उस स्थान पर जहां रजिस्ट्री अवस्थित है, संदेय होगी ।

(2) संदेय फीस की रकम—

(i) प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन द्वारा अपील के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित सारणी में यथाउपबंधित होगी, अर्थात् :-

सारणी		
क्रम संख्यांक (1)	अधिरोपित शास्ति की रकम (2)	संदेय फीस की रकम (3)
1.	एक लाख रुपये से कम	पांच हजार रुपये
2.	एक लाख रुपये या अधिक, परंतु पचास लाख रुपये से कम	दस हजार रुपये
3.	पचास लाख रुपये और अधिक	अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यधीन, दस हजार रुपये जमा पांच हजार रुपये प्रत्येक अतिरिक्त शास्ति के एक लाख या उसके भाग के लिए;

(ii) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में पांच हजार रुपये केवल होगी ।

**7. अपील के ज्ञापन की विषय-वस्तु—**(1) नियम 3 के अधीन फाइल किये गए अपील के प्रत्येक ज्ञापन में सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन संक्षेप में, बिना किसी तर्क य विवरण के ऐसी अपील के आधार दर्शाए जाएंगे और ऐसे आधार क्रमशः संख्यांकित किए जाएंगे और नियम 4 के उपनियम (1) में उपबंधित रीति में होंगे ।

(2) अपील के ज्ञापन में अंतरिम आदेश या निदेश प्राप्त करने के लिए, यदि उसके लिए प्रार्थना की गई हो, पृथक अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ।

**8. अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज—(1)** अपील का प्रत्येक ज्ञापन पांच सैटों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ आदेश की प्रतियां संलग्न की जाएगी, जिसमें से एक सत्यापित प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाती है।

(2) जहां किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है वहां ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित सहमति और प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकार की एक प्रति अपील के साथ संलग्न की जाएगी।

**9. अनेक उपचार—**जब तक याचित अनुतोष पारिणामिक न हो, तब तक अपील का ज्ञापन एक आदेश से अधिक के विरुद्ध अनुतोष नहीं चाहेगा।

**10. प्रत्यर्थी को अपील का नोटिस—(1)** रजिस्ट्रार द्वारा अपील के ज्ञापन की प्रति और पेपरबुक प्रत्यर्थी को हस्त परिदान द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक या त्वरित डाक द्वारा तामील किए जाएंगे, जैसे ही वे रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं।

**11. प्रत्यर्थी द्वारा अपील का उत्तर, अन्य दस्तावेज फाइल करना—**प्रत्यर्थी रजिस्ट्री के पास अपील के ज्ञापन को फाइल करने के नोटिस को तामील करने के एक मास के भीतर पेपर बुक रूप में दस्तावेजों के साथ अपील के उत्तर से अंतर्विष्ट पांच पूर्ण सैट फाइल कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण के समक्ष फाइल किया गया प्रत्येक उत्तर, आवेदन या लिखित अभ्यावेदन पक्षकार द्वारा प्ररूप 2 में यथाउपबंधित सत्यापित किया जाएगा।

(3) अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन, उत्तर, दस्तावेज या लिखित सामग्री की एक प्रति प्रत्यर्थी द्वारा तत्काल अपीलार्थी को तामील की जाएगी।

(4) अपील अधिकरण, अपने विवेकानुसार प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तर उसमें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

**12. सुनवाई की तारीख का अधिसूचित किया जाना—**अपील अधिकरण पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तारीख ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी पीठासीन अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

**13. अपील की सुनवाई—(1)** नियत तारीख को या किसी अन्य दिन, जिसको सुनवाई स्थगित की जाती है, अपीलार्थी की अपील के समर्थन में सुनवाई की जाएगी और अपील अधिकारी तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो, प्रत्यर्थी प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपील के विरुद्ध सुनेगा और ऐसी दशा में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा तथा अपील की सुनवाई के दौरान लिखित तर्कों की अनुपूर्ति समयबद्ध मौखिक तर्कों द्वारा की जा सकेगी।

(2) जब अपील की सुनवाई की जाती है, तो यदि अपीलार्थी स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पेश नहीं होता है तो अपील अधिकरण अपील को गुणों के आधार पर निपटा सकेगा :

परंतु जहां ऊपर यथाउपबंधित किसी अपील का निपटान किया जाता है और अपीलार्थी बाद में पेश होता है और अपील अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जब अपील की सुनवाई की गई थी तब उसके पेश न होने के लिए पर्याप्त कारण था, प्रतिभूति अपील अधिकरण एक पक्षीय आदेश को आदेश द्वारा अपास्त कर सकेगा और अपील को प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

**14. पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक विनियम – (1)** पक्षकार के किसी संबंधी या नियमित कर्मचारी से अन्यथा, प्रत्येक प्राधिकृत प्रतिनिधि अपील अधिकरण के समक्ष अपनी वृत्तिक पोशाक, यदि कोई हो, में पेश होगा और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है तो पुरुष किसी सूट में या पैट के ऊपर बटनबंद कोट में या राष्ट्रीय पोशाक, जो धोती या चुड़ीदार पजामे के ऊपर बटनबंद लंबा कोट या किसी अन्य मर्यादित पोशाक में हो और महिला सफेद या किसी अन्य मर्यादित रंग की साड़ी के ऊपर किसी कोट में या किसी अन्य मर्यादित पोशाक में हो।

(2) अपील अधिकरण के समक्ष पेश होने वाले सभी अन्य व्यक्ति उचित प्रकार की मर्यादित पोशाक पहने होंगे।

**15. आदेश पर हस्ताक्षर और तारीख होना—(1)** अपील अधिकरण के प्रत्येक आदेश पर पीठासीन अधिकारी और पीठ के अन्य सदस्यों के तारीख सहित हस्ताक्षर होंगे।

(2) अपील अधिकरण को, लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे अंतरिम आदेश या व्यादेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिन्हें वह न्यायिक हित में आवश्यक समझे।

(3) आदेश की घोषणा अपील अधिकरण की बैठक में पीठासीन अधिकारी या किसी सदस्य द्वारा, यदि उसे प्राधिकृत किया गया हो, की जाएगी।

**16. आदेशों का प्रकाशन—**अपील अधिकरण के आदेश, जिनको किसी प्राधिकृत रिपोर्ट में या प्रैस में प्रकाशन के लिए उपयुक्त समझा जाता है ऐसे प्रकाशन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर निर्मुक्त किया जा सकेगा, जिनको पीठासीन अधिकारी अधिकथित करें।

**17. आदेशों की संसूचना—**अपील अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति प्राधिकरण और पक्षकारों को संसूचित की जाएगी।

**18. कतिपय मामलों में आदेश और निदेश –** अपील अधिकरण अपने आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए या इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हो।

**19. अभिलेखों के निरीक्षण और उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए फीस – (1)** निरीक्षण के लिए न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यक्षीन प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए बीस रुपये की फीस किसी लंबित अपील के अभिलेखों का उसके किसी पक्षकार द्वारा निरीक्षण करने के लिए प्रभारित की जाएगी।

(2) किसी फोलियो या उसके भाग, जिसमें टंकण अंतर्वलित न हो, के लिए पांच रुपये की फीस और किसी फोलियो या उसके भाग, जिसमें कथन और आंकड़ों का टंकण अंतर्वलित हो, के लिए दस रुपये की फीस किसी अपील के अभिलेखों की प्रतियां उसके किसी पक्षकार को उपलब्ध करने के लिए प्रभारित की जाएगी।

**20. मुद्रा और संप्रतीक—**अपील अधिकरण की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसे होंगे जैसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

[फा. सं. 12018/1/2015-बीमा-II]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

**प्रारूप 1****(नियम 4 देखिए)****अपील का ज्ञापन**

अपील अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग हेतु

रजिस्ट्री में प्रस्तुत करने की तारीख

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के मामले में

और

.....द्वारा .....तारीख को किए गए आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में

किए गए आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में

तारीख.....

द्वारा.....

ए बी अपीलार्थी

सी.डी. और अन्य

प्रत्यर्थी

अपील के ब्यौरे

**1. अपीलार्थी की विशिष्टियां**

- (i) अपीलार्थी का नाम
- (ii) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
- (iii) सभी नोटिसों को तामील करने का पता
- (iv) टेलिफोन/फैक्स नं. और ई मेल पता, यदि कोई हो

**2. प्रत्यर्थी(यों) की विशिष्टियां**

- (i) प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों का नाम
- (ii) प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
- (iii) प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों को सभी नोटिसों को तामील करने का पता
- (iv) टेलिफोन/फैक्स नं. और ई मेल पता, यदि कोई हो

**3. अपील अधिकरण की अधिकारिता**

अपीलार्थी घोषणा करता है कि अपील का मामला अपील अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आता है।

**4. परिसीमा**

अपीलार्थी और घोषणा करता है कि अपील, अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट, उस तारीख से जब अपीलार्थी द्वारा उस आदेश की प्रति प्राप्त की जाती है जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है, परिसीमा अवधि के भीतर है।

**5. मामले के तथ्य और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाती है, के ब्यौरे :**

मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं

(यहां विनिर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के आधार और तथ्यों का संक्षिप्त विवरण कालानुक्रम में दें, प्रत्येक पैरे में जहां तक संभव हो पृथक विवाद्यक, तथ्य या अन्यथा अंतर्विष्ट हों)।

**6. मांगा गया अनुतोष**

ऊपर पैरा 5 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत, अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है। [नीचे मांगे गए अनुतोष विनिर्दिष्ट करें, अनुतोष के लिए आधार और विधिक उपबंध, यदि कोई हो, स्पष्ट करें]

**7. अंतरिम आदेश, यदि प्रार्थना की गई हो**

अपील के अंतिम विनिश्चय तक, अपीलार्थी निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना करता है।

(यहां प्रार्थना किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति कारणों सहित दें)।

**8. मामले का किसी अन्य न्यायालय इत्यादि में लंबित न होना**

अपीलार्थी और घोषणा करता है कि मामला जिसके संबंध में ये अपील की गई है, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

**9. इन नियमों के नियम 9 के संबंध में संदत्त फीस के संबंध में विशिष्टियां –**

- (1) फीस की रकम
- (2) उस बैंक का नाम, जिस पर मांग देय ड्राफ्ट लिखा गया है,
- (3) मांग देय ड्राफ्ट संख्या

**10. अनुक्रमणिका के ब्यौरे**

संबंधित दस्तावेजों के ब्यौरे से अंतर्विष्ट एक अनुक्रमणिका संलग्न की जानी है।

**11. संलग्नकों की सूची**

(अपीलार्थी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

**प्रारूप 2****[नियम 4(3) और 11(2) देखें]****सत्यापन**

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....(पक्षकार की हैसियत)/(पक्षकार की हैसियत) का प्राधिकृत प्रतिनिधि होते हुए सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 11 की विषय वस्तु मेरी स्वीय जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाए हैं।

(पक्षकार/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख:

सेवा में :

रजिस्ट्रार :

.....

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2016

**G.S.R. 179(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (1b) of sub-section (2) of section 114, read with sub-sections (2) and (6) of section 110 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Insurance (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) "appeal" means an appeal preferred under section 110 of the Act;

(c) "Appellate Tribunal" means the Securities Appellate Tribunal, as defined in clause (16C) of section 2 of the Act, established under section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(d) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India as defined in clause (1A) of section 2 of the Act, established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(e) "Form" means the form appended to these rules;

(f) "Member" means a Member of the Securities Appellate Tribunal appointed under section 15L of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(g) "party" includes both appellant and respondent in the appeal before the Appellate Tribunal ;

(h) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal appointed under section 15L of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992);

(i) "Registrar" means the Registrar of the Appellate Tribunal;

(j) "registry" means the registry of the Appellate Tribunal;

(k) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings as assigned to them in those Acts.

**3. Form and procedure of appeal.**—(1) A memorandum of appeal shall be in Form 1 and may be filed in person before the registry of the Appellate Tribunal or sent by registered post addressed to the Registrar.

(2) A memorandum of appeal sent by post shall be deemed to have been presented in the registry on the day it was received in the registry.

**4. Appeal to be in writing.**—(1) Every appeal, application, reply, representation or any document filed before the Appellate Tribunal shall be typewritten, cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of good quality paper of foolscap size in double space and separate sheets shall be stitched together and every page shall be consecutively numbered and filed in the manner provided in sub-rule (2).

(2) The appeal under sub-rule (1) shall be presented in five sets in a paper book along with an empty file size envelope bearing full address of the respondent and in case the respondents are more than one, then sufficient number of extra paper books together with empty file size envelope bearing full addresses of each respondent shall be furnished by the appellant.

(3) Every appeal shall be verified by the party as provided in Form-2



**5. Presentation and scrutiny of memorandum of appeal.**—(1) The Registrar shall endorse on every appeal the date on which it is presented under rule 3 or deemed to have been presented under that rule and shall sign endorsement.

(2) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(3) If an appeal on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the appellant to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature, the Registrar may allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit and where such appeal has been sent by post and found to be defective, the Registrar may communicate the defects to the appellant and allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit.

(4) If the appellant fails to rectify the defect within the time allowed in sub-rule (3), the Registrar may, by order, and for reasons to be recorded in writing, decline to register such memorandum of appeal and communicate the order to the appellant within seven days thereof.

(5) An appeal against the order of the Registrar under sub-rule (4) shall be made within fifteen days of receiving of such order to the Presiding Officer concerned in his chamber, whose decision thereon shall be final.

**6. Fee.**—(1) Every memorandum of appeal shall be accompanied with a fee as provided in sub-rule (2) and such fee may be remitted in the form of crossed demand draft drawn on any nationalized bank in favour of "The Registrar, Securities Appellate Tribunal" payable at the station where the registry is located.

(2) The amount of fee payable shall be –

(i) in respect of appeal against an order made by the Authority by way of adjudication under the Act, as provided in the Table below, namely :-

<b>TABLE</b>		
<b>Sl. No. (1)</b>	<b>Amount of penalty imposed (2)</b>	<b>Amount of fees payable (3)</b>
1.	Less than rupees one lakh	Rupees five thousand.
2.	Rupees one lakh or more but less than Rupees fifty lakh	Rupees ten thousand.
3.	Rupees fifty lakh and more	Rupees ten thousand plus Rs. 5000 for every additional one lakh of penalty or fraction thereof subject to a maximum of rupees one lakh fifty thousand;

(ii) in respect of an appeal against any other order made by the Authority under the Act, or the rules or regulations made thereunder, or under the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999), shall be rupees five thousand only.

**7. Contents of memorandum of appeal.**—(1) Every memorandum of appeal filed under rule 3 shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of such appeal without any argument or narrative, and such ground shall be numbered consecutively and shall be in the manner provided in sub rule (1) of rule 4.

(2) It shall not be necessary to present separate memorandum of appeal to seek interim order or direction if in the memorandum of appeal, the same is prayed for.

**8. Documents to accompany memorandum of appeal.**—(1) Every memorandum of appeal filed in five sets shall be accompanied with copies of the order, one of which shall be certified copy, against which the appeal is filed.

(2) Where a party is represented by authorised representative, a copy of the authorisation to act as the authorised representative and the written consent thereto by such authorised representative shall be appended to the appeal.

**9. Plural remedies.**—A memorandum of appeal shall not seek relief or reliefs therein against more than one order unless the reliefs prayed for are consequential.

**10. Notice of appeal to the respondent.**—(1) A copy of the memorandum of appeal and paper book shall be served by the Registrar on the respondent as soon as they are registered in the registry, by hand delivery, or by Registered Post or Speed Post.

**11. Filing of reply to the appeal and other documents by the respondent.**—(1) The respondent may file five complete sets containing the reply to the appeal along with documents in a paper book form with the registry within one month of the date of service of the notice on him of the filing of the memorandum of appeal.

(2) Every reply, application or written representation filed before the Appellate Tribunal shall be verified by the party as provided in Form-2.

(3) A copy of every application, reply, document or written material filed by the respondent before the Appellate Tribunal shall be forthwith served on the appellant, by the respondent.

(4) The Appellate Tribunal may, in its discretion, on application by the respondent allow the filing of reply referred to in sub-rule (1) after the expiry of the period referred to therein.

**12. Date of hearing to be notified.**—The Appellate Tribunal shall notify the parties the date of hearing of the appeal in such manner as the Presiding Officer may by general or special order direct.

**13. Hearing of appeal.**—(1) On the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal and the Appellate Tribunal shall, then, if necessary, hear the respondent Authority or its authorized representative against the appeal, and in such case the appellant shall be entitled to reply and during the course of the hearing of appeal, the written arguments could be supplemented by time-bound oral arguments.

(2) In case the appellant does not appear in person or through an authorized representative when the appeal is called for hearing, the Appellate Tribunal may dispose of the appeal on merits:

Provided that where an appeal has been disposed of as provided above and if the appellant appears afterwards and satisfies the Appellate Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called for hearing, the Securities Appellate Tribunal may, by order, set aside the ex-parte order and restore the appeal.

**14. Dress regulations for the representatives of the parties.**—(1) Every authorized representative, other than a relative or regular employee of the party shall appear before the Appellate Tribunal in his professional dress if any, and if there is no such dress, a male, in a suit or buttoned-up coat over a pant or national dress that is a long buttoned up coat on dhoti or churidar pyjama or in any other sober dress, and a female, in a coat over white or any other sober coloured saree, or in any other sober dress.

(2) All other persons appearing before the Appellate Tribunal shall be properly dressed in sober attire.

**15. Order to be signed and dated.**—(1) Every order of the Appellate Tribunal shall be signed and dated by the Presiding Officer and other Members constituting the Bench.

(2) The Appellate Tribunal shall have powers to pass interim orders or injunctions, subject to reasons to be recorded in writing, which it considers necessary in the interest of justice.

(3) The order shall be pronounced in the sitting of the Appellate Tribunal by the Presiding Officer or by the Member if so authorised.

**16. Publication of orders.**—The orders of the Appellate Tribunal, as are deemed fit for publication in any authoritative report or the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Presiding Officer may lay down.

**17. Communication of orders.**—A certified copy of every order passed by the Appellate Tribunal shall be communicated to the Authority and to the parties.

**18. Orders and directions in certain cases.**—The Appellate Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

**19. Fee for inspection of records and obtaining copies thereof.**—(1) A fee of rupees twenty, for every hour or part thereof of inspection subject to a minimum of rupees one hundred shall be charged for inspecting the records of a pending appeal by a party thereto.

(2) A fee of rupees five for a folio or part thereof not involving typing and a fee of rupees ten for a folio or part thereof involving typing of statement and figures shall be charged for providing copies of the records of an appeal, to a party thereto.

**20. Seal and emblem.**—The official seal and emblem of the Appellate Tribunal shall be such as the Central Government may specify.

[F. No. 12018/1/2015-Ins.II]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

FORM 1

(See Rule 4)

Memorandum of appeal

For use in Appellate Tribunal's office

Date of presentation in the registry

Date of receipt by post

Registration number

Signature

Registrar

Before the Securities Appellate Tribunal

In the matter of the Insurance Act 1938 (4 of 1938)

and

In the matter of appeal against the order made on \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_

In the matter of appeal against the order made

on \_\_\_\_\_

by \_\_\_\_\_ ... A. B. Appellant

C.D. and other – ... Respondent(s)

Details of appeal:

**1. Particulars of the appellant:**

- (i) Name of the appellant
- (ii) Address of registered office of the appellant
- (iii) Address of service of all notices
- (iv) Telephone/Fax Number and e-mail address, if any

**2. Particulars of the respondent(s):**

- (i) Name of the respondent(s)
- (ii) Office address of the respondent(s)
- (iii) Address of respondent(s) for service of all notices
- (iv) Telephone/Fax Number and e-mail address, if any

**3. Jurisdiction of the Appellate Tribunal**

The appellant declares that the matter of appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal

**4. Limitation**

The appellant further declares that the appeal is within the limitation period, as specified in the Act, from the date on which a copy of the order against which the appeal is filed, is received by the appellant.

**5. Facts of the case and the details of the order against which appeal is filed:****The facts of the case are given below**

(Give here a concise statement of facts and grounds of appeal against the specified order in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible as separate issue, fact or otherwise).

**6. Relief(s) sought**

In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the appellant prays for the following relief(s) [Specify below the relief(s) sought, explain the grounds for relief(s) and the legal provisions, if any, relied upon].

**7. Interim order, if prayed for**

Pending final decision of the appeal, the appellant seeks issue of the following interim order:

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons).

**8. Matter not pending with any other court etc.**

The appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.

**9. Particulars in respect of the fee paid in terms of rule 9 of these rules--**

- (1) Amount of fees
- (2) Name of the Bank on which Demand Draft is drawn
- (3) Demand draft number

**10. Details of Index**

An index containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

**11. List of enclosures—**

(Signature of the appellant/Authorized Representative)

**Form-2****[See rule 4(3) and 11(2)]****Verification**

I..... son/daughter/wife of Shri.....  
being the (status of party)/authorized representative of.....(status of party).....  
do hereby verify that the contents of paras 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I  
have not suppressed any material facts.

Signature of the party/Authorized Representative

Place:

Date:

To

The Registrar

.....

.....